

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/वि०चि०पदा०-172/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० अरफा जबी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निर्मली, सुपौल द्वारा प्रथम संतान के देखभाल हेतु दिनांक-11.08.2023 से 29.02.2024 तक कुल-203 (दो सौ तीन) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात् डा० अरफा जबी के पक्ष में 527 (पाँच सौ सताईस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

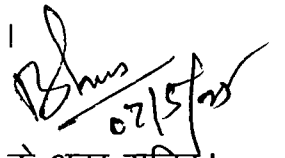
2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-172/2024- 727(2) पटना, दिनांक : 9/5/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निर्मली, सुपौल/ डा० अरफा जबी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निर्मली, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।